न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :— 02 / 53 / 2011

केशरसिंह बनाम शारदा वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 23.01.2012 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 254 / 0.57, 252 / 0.02, 269 / 0.70, 491 / 0.35 है. वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ में वकुलाय को सुना जाकर विशेष परिस्थिति में क्षेत्राधिकार के इश्यू के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबन्द किया गया कि विवादित आराजी पर कोई निर्माणकार्य नहीं करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2012 से प्रचलन में है जिसे लगभग 6 वर्ष का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 254 / 0.57, 252 / 0.02, 269 / 0.70, 491 / 0.35 है. वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23.01.2012 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट पलवा)